

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

दिनेश उपाध्याय,
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख-01 एवं 02,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची।

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)।

सभी अधीक्षण अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सभी कार्यपालक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सभी सहायक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सभी कनीय अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

स्मार

राँची, दिनांक :-

विषय:- झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली-2001 के नियम-19 में अंकित प्रावधान के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना सं. 9519, दिनांक 22.09.2014 के आलोक में चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित विवरणी समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-1646 दिनांक 14.05.2015 एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची का पत्रांक-2423 दिनांक 16.03.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-1646 दिनांक 14.05.2015 द्वारा मांगी गई चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित विवरणी अबतक अप्राप्त है।

विदित हो कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची का पत्रांक-2423 दिनांक 16.03.2015 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में वैसे पदाधिकारी, जो ससमय अपनी सम्पत्ति की विवरणी अपने निर्धारित प्राधिकार को समर्पित नहीं करते हैं, उनकी प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा।

अतएव अनुरोध है कि 10 (दस) दिनों के अन्दर अपना सम्पत्ति विवरणी विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय। संबंधित विवरणी ससमय अप्राप्त रहने की स्थिति में प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

अनु.-यथोक्त।

ह./-

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)

ज्ञापक :- 2606

राँची, दिनांक :-

30-7-15

प्रतिलिपि : वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)